

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2023, लखनऊ, दिनांक :: 13 ::जुलाई ,2023

-- आदेश --

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह अगस्त-2023 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क0सं 01	बैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगलपीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य	
1	मुख्यालय/पीठ लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	दिनांक 07.08.2023 से 10.08.2023 दिनांक 14.08.2023 से 18.08.2023	अध्यक्ष वा0 कर अधिकरण, सदस्य पीठ-3, लखनऊ अध्यक्ष वा0 कर अधिकरण सदस्य पीठ-2, लखनऊ	न्यायिक विभागीय न्यायिक विभागीय
2	पीठ-1, आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा।	दिनांक 07.08.2023 से 10.08.2023	सदस्य पीठ- झांसी, सदस्य पीठ-4, कानपुर	न्यायिक विभागीय
3	पीठ-1, कानपुर	पीठ-1,2,3 व 4 कानपुर।	दिनांक 16.08.2023 से 19.08.2023	सदस्य पीठ-1, इलाहाबाद सदस्य पीठ-4, कानपुर	न्यायिक विभागीय
4	पीठ-1 नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा।	दिनांक 07.08.2023 से 10.08.2023	सदस्य पीठ-1, मेरठ सदस्य पीठ-2, कानपुर	न्यायिक विभागीय
5	पीठ-1, गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद।	दिनांक 21.08.2023 से 24.08.2023	सदस्य पीठ- गोरखपुर सदस्य पीठ-2, लखनऊ	न्यायिक विभागीय
6	पीठ-मुरादाबाद	पीठ - मुरादाबाद	दिनांक 01.08.2023 से 04.08.2023	सदस्य पीठ-गोरखपुर सदस्य पीठ-मुरादाबाद	न्यायिक विभागीय
7	पीठ-झांसी	पीठ - झांसी	दिनांक 28.08.2023 से 30.08.2023	सदस्य पीठ-झांसी सदस्य पीठ-4, कानपुर	न्यायिक विभागीय
8	पीठ-1, इलाहाबाद	पीठ-1 व 2, इलाहाबाद	दिनांक 21.08.2023 से 24.08.2023	सदस्य पीठ-1, इलाहाबाद सदस्य पीठ-2, इलाहाबाद	न्यायिक विभागीय
9	पीठ-सहारनपुर	पीठ - सहारनपुर	दिनांक 21.08.2023 से 24.08.2023	अध्यक्ष वा0 कर अधिकरण, सदस्य पीठ-2, मेरठ	न्यायिक विभागीय
10	वाराणसी	पीठ-1,2,3,4,5 व 6 वाराणसी।	दिनांक 07.08.2023 से 10.08.2023	सदस्य पीठ-3, वाराणसी सदस्य पीठ-4, वाराणसी	न्यायिक विभागीय

ह0-13-07-2023,

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/415 /2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।
- 2- कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3- मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 4- सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।